न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :–

जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 27/2020

फरियाद पुत्र हासमखान जाति कायमखानी, निवासी जवाहरपुरा, तहसील मलसीसर, जिला झुन्झुनूं।

–अपीलार्थी

–बनाम–

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार मलसीसर, जिला झुन्झुनूं।

– रेस्पोडेन्ट

अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय तहसीलदार मलसीसर
उनवानी सरकार बनाम फरियाद अं0धारा 91 एल0आर0एक्ट 1956
मु0न0 38/2017 निर्णय दिनांक 25.6.2010

उपस्थितिः–

1 श्री राजेश पूनियां, एडवोकेट ––––– –––––– –––––अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी,एडवोकेट–––––––––––––––रेस्पोडेन्ट की ओर से।

–निर्णय– दिनांक 16.02.2021

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 25.6.2010 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम फरियाद मु0नं0 38/2017 अ. धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 न्यायालय तहसीलदार तहसीलदार मलसीसर के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि– हाल खसरा नंबर 112 रकबा 24.75 हैक्टर किस्म गैर मु0 जोहड़ सरहद राजस्व ग्राम जवाहरपुरा में स्थित है। उक्त जमीन में से 190 वर्ग मीटर जमीन पर अपीलांट द्वारा तथाकथित रूप से आवासीय मकान बनाकर अतिक्रमण करने पर अपीलांट को अदालत मातहत ने अतिक्रमी घोषित कर बेदखली बाबत दिनांक 25.06.2020 को आलोच्य निर्णय पारित किया है जिससे व्यथित होकर मौजुदा अपील पेश कर निवेदन किया कि मौजुदा प्रकरण में धारा 91 एल0आर0एक्ट के प्रावधान लागू नहीं होते। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की जवाबदेही को नजरअंदाज

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.03.12 18:30:23 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनूं

किया है। जमीन हाल खसरा नंबर 112 के पुरानो खसरा नंबर 80 थे। जमाबंदी सम्वत 2012 से 2015 में उक्त जमीन गत खसरा नंबर 80 नागर व डूंगर पुत्र फूलचंद महाजन की खातेदारी में दर्ज रही है। जमीन गत खसरा नंबर 80 हाल खसरा नंबर 112 ग्राम जवाहरपुरा कभी भी राज्य सरकार की नहीं रही। इस कारण जमीन हाल खसरा नंबर 112 धारा 91 एलआर एक्ट 1956 के प्रावधान लागू नहीं होते। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को उक्त जमीन पर अतिक्रमी मानने का आधार गलत दर्ज किया है। जमीन गत खसरा नंबर 80 के तत्कालीन खातेदार नागरमल व डूंगरमल महाजन ने उक्त जमीन में से एक बीघा जमीन रिहायश के लिये जरिये लिखावट अपीलांट के पिता हासम को दी थी। इस कारण अपीलांट उक्त जमीन पर अतिक्रमी नहीं कहा जा सकता। कानून से जहां सदभाविक कब्जा व किस्म जमीन का विवाद हो वहां एक सदभाविक कब्जाधारी को समरी कार्यवाही के द्वारा बेदखल नहीं किया जा सकता। माननीय राजस्व मण्डल ने परिपत्र जारी कर विश्वव्यापी महामारी कोविड–19 के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 29.06.2020 तक किसी भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायिक कार्य नहीं करने के आदेश पारित किये है। अगर फिर भी किसी अदालत द्वारा ऐसा कोई न्यायिक कार्य के क्रम में कोई निर्णय पारित किया है तो वह अवैध है। अदालत मातहत ने माननीय राजस्व मण्डल के आदेश के बावजूद भी आलौच्य निर्णय दिनांक 29.06.2020 से पूर्व दिनांक 25.6.2020 को पारित किया है,जो प्रारम्भ से ही शून्य होने से अवैध है तथा निरस्त होने योग्य है। अतः अपील पेशकर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित आलौच्य निर्णय दिनांक 26.6.2020 खारिज किया जावे।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि:– अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की जवाबदेही को नजरअंदाज किया है। जमीन हाल खसरा नंबर 112 के पुरानो खसरा नंबर 80 थे। जमाबंदी सम्वत 2012 से 2015 में उक्त जमीन गत खसरा नंबर 80 नागर व डूंगर पुत्र फूलचंद महाजन की खातेदारी में दर्ज रही है। जमीन गत खसरा नंबर 80 हाल खसरा नंबर 112 ग्राम जवाहरपुरा कभी भी राज्य सरकार की नहीं रही।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.03.12 18:30:23 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनूं

इस कारण जमीन हाल खसरा नंबर 112 धारा 91 एलआर एक्ट 1956 के प्रावधान लागू नहीं होते। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को उक्त जमीन पर अतिक्रमी मानने का आधार गलत दर्ज किया है। जमीन गत खसरा नंबर 80 के तत्कालीन खातेदार नागरमल व डूंगरमल महाजन ने उक्त जमीन में से एक बीघा जमीन रिहायश के लिये जरिये लिखावट अपीलांट के पिता हासम को दी थी। इस कारण अपीलांट उक्त जमीन पर अतिक्रमी नहीं कहा जा सकता। कानून से जहां सदभाविक कब्जा व किस्म जमीन का विवाद हो वहां एक सदभाविक कब्जाधारी को समरी कार्यवाही के द्वारा बेदखल नहीं किया जा सकता। माननीय राजस्व मण्डल ने परिपत्र जारी कर विश्वव्यापी महामारी कोविड–19 के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 29.06.2020 तक किसी भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायिक कार्य नहीं करने के आदेश पारित किये है। अगर फिर भी किसी अदालत द्वारा ऐसा कोई न्यायिक कार्य के क्रम में कोई निर्णय पारित किया है तो वह अवैध है। अतः अपील पेशकर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित आलौच्य निर्णय दिनांक 26.6.2020 खारिज किया जावे।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अपीलान्ट द्वारा ग्राम जवाहरपुरा की भूमि खसरा नंबर 112 गै मु0 जोहड़ रकबा 24.75 है में से 190 वर्गमीटर भूमि पर आवासी मकान बनाकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मलसीसर द्वारा विधिक प्रकिया के अन्तर्गत अपीलांट को सुना जाकर निर्णय पारित किया गया है । पारित निर्णय विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। हस्तगत प्रकरण में पत्रावली पूर्व में रिमाण्ड हो चुकी है। अतिक्रमित भूमि गै0मु0 जोहड़ होने से नियमन योग्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मलसीसर द्वारा प्रकरण पुनः दर्ज कर अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर सुना गया है। अपीलांट द्वारा इस न्यायालय के समक्ष भी ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई, जिससे विवादित भूमि पर उनका कब्जा वैद्य साबित होता हो। ऐसी स्थिति में प्रकरण के

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.03.12 18:30:23 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनूं

तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मलसीसर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.06.2019 उनवानी सरकार बनाम फरियाद मु0नं0 38/2017 यथावत रखा जाता है । मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(जे0 पी0 गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 16.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16/2/2021

(जे0 पी0 गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.03.12 18:30:23 IST
Reason: SelfAttested